

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उपवाचन

वनाम

विजय कुमार

सम्पतराम आदि

दावा बाबत :- 88R7A4

मुकदमा नम्बर :- 241/2021

निर्णय दिनांक :- 7-12-2021

वादी की ओर से वकील रोहित कुमार की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील पवन सिन्हा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 7-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोहित कुमार के खता सं० 30/31 के खसरा

सं० 243, 658/3, 688, 713, 725 कुल 12-8900 हे. चारानी खेतशरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० सम्पतराम के नाम 996 हे.खसरा रजिस्ट्रार के नाम है और प्रतिवादी सं० सम्पतराम का नाम कलभण किया जाकर वादी विजय कुमार को 1/5 हे.खसरा व प्रतिवादी सं० 2 खुवार गिल को 2/5 हे.खसरा प्रतिवादी सं० 3 की पंचेद को 1/5 प्रतिवादी सं० 4 गरासिंह को 1/5 हे.खसरा व प्रतिवादी सं० 5 सतरी को 2/5 व प्रतिवादी सं० 10 सुरेन्द्र को 1/5 हे.खसरा के खेत पर काष्ठकार घोषित किया जाते हैं और प्रतिवादी सं० 7 को अपना समूह एक व हे.खसरा वादी व प्रतिवादी सं० 2 लाप व 9, 10 के फा में व प्रतिवादी सं० 8 ने अपना एक व हे.खसरा वादी सं० 1 व प्रतिवादी सं० 11 ने अपना समूह एक व हे.खसरा प्रतिवादी सं० 9 के पक्ष में त्थांग कर मुजब कर लिया है इसलिये त्थांग किए गये हे.खसरा पर पंजीयन मुजब अदा करे व यदि कृषि भूमि जैक के खेत हो तो खेती के लिए उपरान्त ही रजिस्ट्रार के नाम पर रजिस्ट्रार किया जाये व खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। रोजीनामा को डिक्री का मति पठा जाये।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 7-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) (शिफर प्रभारी) भादरा जिला हनुमानगढ़ प्र.गा. के संग अ.-2021 कोय